

FORM NO. III

फर्द अहकाम (नियम-26)


old file

अज अदालत नियम
 चेतनराम बनाम पु. धानाध्यपक, श्री. श्री. वि. गोगावली
 किस्म मुकदमा 131.136 P.L.R. नं. 383 सन् 2018
 की ठानी om


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---


20/6/18

प्रकार की कानून सेवा छोड़ कालेवा
 दुई
 इ. श्री. मय नवीन उपनिवार
 वि. धानाध्यपक, पु. धानाध्यपक


 17/2
 चेतनराम

दोनों मसौ नै रा. श्री. नामाध्यपक
 जोर लाहिर सेवा छि सेवा उपनार नम्बर 885/58
 वेकला 27 कीका 18 किन्का न वि. धानाध्यपक का
 सेवा उपनार नम्. 885/58 रकबा 4 कीका
 श्री. गंगाधारी की ठानी में है उक्त
 श्री. मय उपनार नम्बर 58 है, जिसकी
 काम न-बाही से तस्वीर की गई उक्त तस्वीर
 दुस्तर बनने पर छोड़ आगरी करी है,
 उपनार नम्बर करी है दोनों मसौ केस/का
 से उपनार नम्बर 1/1 के अनुसार रा. मय वेकल
 के तस्वीर बनना चाहते है


 प्रधानाध्यापक
 वि. धानाध्यपक, गंगाधारी की ठानी
 पं. ल. पाटोदी (बाड़नेर)
 BE EO
 Patodi


 धापुरदी
 सरपंच
 ग्राम पंचायत, कालेवा
 पंचायत समिति, पाटोदी

इसके प्रकाशक के दरवाजे पर
 उपनार रा. श्री. नामाध्यपक का अन्वेषण सेवा
 तथा मसौ काम से पुछ राख कर
 करी की गई दोनों मसौ के पुर्त तस्वीर
 को निरस्त करने के रास्ते से जगती
 दुई मसौ की नकला से काम देगा से
 यदि उपनार पर तस्वीर बनने

श्री. मावीरथ राम
 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
 पदेन सहायक कलेक्टर

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

अहकाम
की तामील में

निवेदन निम्न

क्या सोला मंगोवादी की दावा (का.के.का.)
 संख्या नम्बर 888/518 संख्या 4 सी.ए. पूर्व
 में की गई परकीय निरस्त की जायी है
 तथा वर्तमान में उक्त मामले की परकीय
 राशरी से लक्षणी हुई नम्बरे से मार्क लागू
 स्थानी के स्थान पर निम्न प्रकार से कार्य
 दिये जाये हैं उक्त (अनुसंधान नम्बरा
 के) से परकीय की जाये, निरस्त
 सुनाना गया प्रकाशनी प्रो.स.स. सुमा
 होकर दामोदर दापर है

(भागीरथ राम)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प-2018
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
 बालोतरा कैम्प..

का.के.का.